न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 10 / 2026

GCMS No. : 2026/29

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
दिलीप सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		मोहम्मद इंसाफ पुत्र श्री कमरूदीन मैसर्स मुस्कान डेसरी, मैन रोड़, बादशाह का झण्डा पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :–

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक: 19/02/2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियन्त्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ / खा.सु एवं औ.नि. / संस्था. / 2025 / 101 दिनांक 15.01.2025 के अनुसार प्रार्थी का कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली आवंटित किया गया हैं एवं पाली जिलें में आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र प्रार्थी के कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हैसियत से दिनांक 29.07.2025 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मुस्कान डेयरी बादशाह का झण्डा, मैन रोड़, पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पूछने पर अपना नाम मोहम्मद इंसाफ पुत्र श्री कमरूदीन बताया। फर्म में आमजन को विक्रय के लिए एल्युमिनीयम भगोने में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

घी लगभग 12–13 kg रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने घी का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में साथ आये कंप्यूटर ऑपरेटर ओमप्रकाश कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की घी का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 1600 ग्राम घी वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 900/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा घी को नियमानुसार चार साफ व सुखी बोतल में बराबर–बराबर मात्रा में लेकर ढक्कन एयर टाईट बन्द कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड़ एवं सिरियल नम्बर आर–2589 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया घी का नमुना संख्या आर–2589 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1218/एक्ट/2025/1218 दिनांक 13.08.2025 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जाचं पुनः करवाना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। जिस पर अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एंव जवाब पेश नहीं किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) घी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी की फर्म से घी का नमुना लेते समय खाद्य सुरक्षा मानक के अनुसार सेम्पल नहीं लिया है, जो विधि के अनुसार औचित्यहिन है। अप्रार्थी द्वारा घी का उत्पादन अपनी दुकान मे

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

नहीं किया जाता और जिस अवस्था में थोक विक्रेता से खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा घी में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में घी के अवमानक होने का उत्तरदायी अप्रार्थी की फर्म कैसे हो सकती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थीगण की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.07.2025 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मुस्कान डेयरी बादशाह का झण्डा, मैन रोड़, पाली से घी वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमुना कोड़ एवं क्रम संख्या आर–2589 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये घी का नमुना कोड संख्या आर–2589 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया घी का नमुना Sub-standard (अवमानक) पाया गया, जिसकी प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवायी गयी। जिसके संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का जवाब या पुनः जांच हेतु किसी प्रकार का आवेदन नहीं करने एवं एक माह से ज्यादा समय व्यतित होने से प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त घी Sub-standard (अवमानक) पाया गया। मौके पर अप्रार्थी द्वारा कोई खरीद बिल पेश नहीं किया ऐसे में विक्रेता फर्म को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से घी का सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानको को अपनाते हुए सेम्पल लिया एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया जिसमें किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना नहीं पायी गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने अवमानक स्तर के घी का उपयोग आमजन को विक्रय किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) घी का उपयोग आमजन को विक्रय किये जाने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 70,000/–रूपये अक्षरे सत्तर हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करे। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी से 1 माह में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 19/02/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)